न्यायालय कलेक्टर जिला–मुरैना,(म0प्र0)

प्र0क्र0 0001 / अ–19(3) / 2022–23

(आदेश पारित दिनांक 01/ 09 /2022)

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल मुरैना द्वारा अपने पत्र कमांक / मा. चि. / 22 / 1416 दिनांक 29.03.2022 प्रेषित कर उल्लिखित किया गया कि कार्यपालन अधिकारी लोक निर्माण विभाग संभाग क.1 ग्वालियर द्वारा ग्वालियर एवं मुरैना जिले के अंतर्गत सिकरावली से धोवनी मार्ग के निर्माण में वन मण्डल मुरैना की प्रभावित वन भूमि कक्ष क. पी–217 वन खण्ड धोबिनी बीट कन्हार रकबा 1.54 हे0 वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अनुमति बाबत् प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव कमांक **FP/MP/ROAD/45373/2020** प्राप्त हुआ है। उक्त निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु इस न्यायालय के प्र0 क0 04 / अ–19(3) / 2021–22 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2021 से हस्तांतरित ग्राम चांचुल तहसील जौरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 283 रकबा 6.113 में से रकबा 3.08 हे0 भूमि पूर्व से ही वनखण्ड टिकटोली कक्ष कमांक आर.एफ. 91 के अन्तर्गत आती है। अतः ग्राम चांचुल तहसील जौरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 283 रकबा 6.113 में से रकबा 3.08 हे0 के स्थान पर पूर्व में मुरैना जिले के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (**DRDO**), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन रक्षा परियोजना ''तकनीकी सुविधाओं की स्थापना'' हेतु वन भूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि तहसील सबलगढ़ के ग्राम रहू का गॉव, खेराडिगवार एवं अटार में हस्तांतरित की गई है। अतः उक्त क्षेत्र की सीमा से लगी हुई भूमि ही वृक्षारोपण सुरक्षा की द्रष्टि से वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

2– प्राप्त पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ की ओर भेजकर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा तहसीलदार सबलगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण कर वन विभाग से सहमति प्राप्त कर ग्राम रहू का गॉव तहसील सबलगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 385 रकबा 18.86 हे0 नोईयत चरनोई में से रकबा 3.08 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया। प्रकरण अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

4– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ राजस्व अधिकारी तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के प्रतिवेदनों का भली–भाँति परिशीलन किया गया, मैं उनके प्रतिवेदनों से सहमत हूँ।

अतः अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के प्रतिवेदनों के आधार पर इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 04 / 2021–2022 / अ–19(3) में पारित आदेश दिनांक 13.09.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण के संलग्न अक्स–खसरा अनुसार ग्राम रहू का गॉव तहसील सबलगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 385 रकबा 18.86 हे0 नोईयत चरनोई में से रकबा 3.08 हे0 भूमि की नोईयत म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 237(3) के अंतर्गत परिवर्तित की जाकर वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है।

(बी0 कार्तिकेयन)
कलेक्टर,
जिला–मुरैना,म0प्र0

पृ.क्र. 0001 / अ–19(3) / 2022–23

प्रतिलिपि:–

मुरैना,दिनांक 01-09-.2022

1– वन मण्डलाधिकारी, मुरैना।

2– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग कमांक 01 ग्वालियर।

3– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा।

4– अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) सबलगढ़।

4– अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उप संभाग ग्वालियर।

5– तहसीलदार तहसील जौरा।

6– तहसीलदार तहसील सबलगढ़

की ओर पटवारी अभिलेख में अमल कर पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु।

कार्यालय कलेक्टर, जिला–मुरैना (म०प्र०)

कलेक्टर,

जिला–मुरैना,म0प्र0